

अनुबंध



**अनुबंध: 1**

**विशेष आर्थिक जोन पर तथ्य पत्रक (संदर्भित पैराग्राफ 1.9)**

**1 अप्रैल 2019 तक**

औपचारिक अनुमोदन की संख्या	416		
अधिसूचित सेज की संख्या	351 प्लस 7 केन्द्र सरकार प्लस 12 राज्य / निजी सेज		
परिचालित सेज	232		
सेज में अनुमोदित इकाइयां	5,109		
निवेश	निवेश (फरवरी 2006 तक)	वृद्धिशील निवेश	कुल निवेश (1 अप्रैल 2019 तक)
केंद्र सरकार के सेज	₹ 2,279 करोड़	₹ 16,398 करोड़	₹ 18,677 करोड़
2006 से पहले स्थापित राज्य/ निजी सेज	₹ 1,756 करोड़	₹ 11,518 करोड़	₹ 13,274 करोड़
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज	-	₹ 4,75,693 करोड़	₹ 4,75,693 करोड़
<b>कुल</b>	<b>₹4,035 करोड़</b>	<b>₹ 5,03,609 करोड़</b>	<b>₹ 5,07,644 करोड़</b>
रोज़गार	रोज़गार (फरवरी 2006 तक)	वृद्धिशील रोज़गार	कुल रोज़गार (1 अप्रैल 2019 तक)
केंद्र सरकार के सेज	1,22,236 व्यक्ति	1,05,801 व्यक्ति	2,28,037 व्यक्ति
2006 से पहले स्थापित राज्य/ निजी सेज	12,468 व्यक्ति	90,584 व्यक्ति	1,03,052 व्यक्ति
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज	0	17,29,966 व्यक्ति	17,29,966 व्यक्ति
<b>कुल</b>	<b>1,34,704 व्यक्ति</b>	<b>19,26,351 व्यक्ति</b>	<b>20,61,055 व्यक्ति</b>
निर्यात निष्पादन			
वर्ष	निर्यात	वृद्धि	प्रतिशत
वि.व. 16	4,67,337		1
वि.व. 17	5,23,637		12
वि.व. 18	5,81,033		11
वि.व. 19	7,01,179		21

कुल निवेश	2015-16 ₹करोड़ में	2016-17 ₹करोड़ में	2017-18 ₹करोड़ में	2018-19 ₹करोड़ में
केंद्र सरकार के सेज	15,178	15,974	19,381	18,677
2006 से पहले स्थापित राज्य/ निजी सेज	10,169	11,478	12,952	13,274
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज	3,51,147	4,05,690	4,59,979	4,75,693
<b>कुल</b>	<b>3,76,494</b>	<b>4,33,142</b>	<b>4,92,312</b>	<b>5,07,644</b>
रोज़गार (व्यक्तियों में)	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
केंद्र सरकार के सेज	2,38,382	2,34,861	2,39,870	2,28,037
2006 से पहले स्थापित राज्य/ निजी सेज	84,004	95,970	1,00,669	1,03,052
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज	12,68,995	14,48,020	16,56,071	17,29,966
<b>कुल</b>	<b>15,91,381</b>	<b>17,78,851</b>	<b>19,96,610</b>	<b>20,61,055</b>

स्रोत: www.sezindia.nic.in

**अनुबंध: 2**

**डीआरआई (योजना-वार) द्वारा शुल्क अपवंचन के मामलों का पता लगाया गया**

(संदर्भित पैराग्राफ 1.13.1)

क्र.सं.	योजना	वि.व. 15 शुल्क के मामलों की संख्या  इयूटी (₹ करोड़ में)	वि.व. 16 शुल्क के मामलों की संख्या  इयूटी (₹ करोड़ में)	वि.व. 17 शुल्क के मामलों की संख्या  इयूटी (₹ करोड़ में)	वि.व. 18 शुल्क के मामलों की संख्या  इयूटी (₹ करोड़ में)	वि.व. 19 शुल्क के मामलों की संख्या  इयूटी (₹ करोड़ में)
1	अंत-उपयोग और अन्य अधिसूचना शर्तों का दुरुपयोग।	18 110.18	69 770.48	29 15.91	48 117.50	60 539.47
2	ईपीसीजी का दुरुपयोग	49 289.11	64 454.92	53 311.96	37 237.47	32 72.90
3	अल्प-मूल्यांकन	85 285.64	92 254.37	154 184.89	346 1825.42	80 301.01
4	गलत घोषणा	52 172.42	112 1187.61	167 309.09	163 184.72	211 791.89
5	प्रतिअदायगी		94 1150.46	58 99.70	146 40.22	21 6.87
6	ईओयू / ईपीजेड / सेज का दुरुपयोग	6 37.50	18 9.54	6 37.34	3 1.05	3 4.95
7	डीईईसी / अग्रिम लाइसेंस का दुरुपयोग	11 1077.15	12 15.21	55 265.21	79 293.54	178 3433.40
8	अन्य	186 953.54	170 2780.73	145 198.08	118 364.74	167 1077.70
	<b>कुल</b>	<b>407 2925.54</b>	<b>631 6623.32</b>	<b>667 1422.18</b>	<b>940 3064.65</b>	<b>752 6228.19</b>

स्रोत: डीआरआई एंटी स्मगलिंग निष्पादन रिपोर्ट (एसपीआर)

**अनुबंध - 3**

**एससीएन और अधिनिर्णय के लिए कानूनी ढांचा और प्रशासनिक निर्देश**

(संदर्भित पैराग्राफ सं. 3.1.1)

क्र.सं.	धारा/नियम/परिपत्र	संक्षिप्त संदर्भ
1.	सीमा शुल्क अधिनियम (सीए) 1962 के 28 (1)	मिलीभगत के कारण या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के अलावा अन्य मामलों में एससीएन
2.	सीए 1962 का 28 (4)	मिलीभगत या किसी भी विलफुल गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के मामलों में एससीएन
3.	सीए 1962 का 28 (8)	एससीएन मामलों में शुल्क और ब्याज की राशि
4.	सीए 1962 का 28 (9)	एससीएन मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा
5.	सीए 1962 का 111	अनुचित रूप से आयातित माल की जब्ती
6.	सीए 1962 का 75	निर्यात के लिए कमी का विनियमन
7.	सीए 1962 का 122	अधिग्रहण और दंड के अधिनिर्णय
8.	सीए 1962 का 124	माल जब्त करने से पहले एससीएन
9.	सीए 1962 के 129 डी	कुछ आदेश पारित करने के लिए प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त की शक्तियाँ
10.	पूर्व सूचना विनियम 2018	जिन मामलों में एससीएन प्रस्तावित था, उनमें पूर्व सूचना परामर्श की शुरुआत
11.	एफटीडीआर अधिनियम 1992 का 13	तलाशी, जब्ती, दंड और अधिग्रहण के मामलों में लाइसेंस प्राधिकरण निर्णय
12.	एफटीडीआर अधिनियम 1992 के 14	दंड और अधिग्रहण के अधिनिर्णय से पहले माल के मालिक को अवसर (लिखित नोटिस) देना
13.	एचबीपी खंड   का 4.24	दायित्व की निगरानी; एडवांस लाइसेंस
14.	एचबीपी खंड   का पैरा 5.8	निर्यात दायित्व पूर्ति का विनियमन; ईपीसीजी योजना लाइसेंस
15.	एचबीपी खंड   का पैरा 5.13	ईपीसीजी लाइसेंस के लिए मोचन प्रक्रिया
<b>प्रशासनिक निर्देश</b>		
1.	सीबीआईसी परिपत्र सं. 162/73/95-सीएक्स दिनांक 14.12.1995 यथा संशोधित	कॉल बुक में एससीएन मामलों का स्थानांतरण.
2.	सीबीआईसी परिपत्र सं. 717/33/2003- सीएक्स दिनांक 23.5.2003	मासिक तकनीकी रिपोर्ट/मासिक निष्पादन रिपोर्ट
3.	डीजीएफटी परिपत्र एफ.सं.18/24/एचक्यू/99-	अस्वीकृत सत्व सूची मामलों के लिए दिशानिर्देश

क्र.सं.	धारा/नियम/परिपत्र	संक्षिप्त संदर्भ
	2000/ईसीए ॥ दिनांक 31 दिसंबर 2003	
4.	सीबीआईसी परिपत्र. सं. 3/2007-सीमा शुल्क दिनांक 10 जनवरी 2007	जल्दी मामलों के लिए समय सीमा जिसके भीतर अधिनिर्णय पूरा हो जाएगा
5.	सीबीआईसी परिपत्र. सं. 4/2007- सीमा शुल्क दिनांक 10 जनवरी 2007	रिमांड के मामलों को समयबद्धता के लिए अधिनिर्णय
6.	वित्त मंत्रालय एफ.सं/609/119/2010-डीबीके दिनांक 18.1.2011	बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र (बीआरसी) मॉड्यूल के कार्यान्वयन में प्रगति
7.	सीबीआईसी परिपत्र. सं.24/2011- सीमा शुल्क दिनांक 31.5.11	एससीएन और स्थगन के लिए मौद्रिक सीमा
8.	सीबीआईसी परिपत्र. सं 16/2017 दिनांक 2 मई 2017	निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए सरल सूचना जारी करना
9.	सीबीआईसी निर्देश सं.5/2018 दिनांक 28.3.2018 तथा सं.6/2018 दिनांक 2.04.2018	डीआईजीआईटी के माध्यम से एससीएन और अधिनिर्णय आदेश जारी करना
10.	डीजीएफटी ट्रेड सूचना सं. 1/2018-19 दिनांक 4.4.2018	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) निगरानी प्रणाली

**अनुबंध - 4**

**कार्य क्षेत्र और लेखापरीक्षा आवृत्त क्षेत्र**

(संदर्भित पैराग्राफ सं. 3.3)

क्र.सं	चयनित सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	चयनित आरए का नाम	चयनित डीसी सेज के नाम
1	सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) लखनऊ सीमा शुल्क आयुक्तालय नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) पटना	कानपुर	नोएडा
2	सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयरपोर्ट) कोलकाता सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सेज फाल्टा
3	सीमा शुल्क आयुक्तालय हैदराबाद सीमा शुल्क आयुक्तालय विशाखापट्टनम सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) भुवनेश्वर	हैदराबाद	वीसेज विशाखापट्टनम
4	सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच दिल्ली सीमा शुल्क आयुक्तालय (निर्यात), एनसीएच दिल्ली	दिल्ली	पीथमपुर, ग्वालियर
5	सीमा शुल्क आयुक्तालय इंदौर सीमा शुल्क आयुक्तालय अहमदाबाद सीमा शुल्क आयुक्तालय मुंद्रा सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) जोधपुर	इंदौर अहमदाबाद राजकोट जयपुर	कांडला
6	सीमा शुल्क आयुक्तालय लुधियाना	कोई आरए चयनित नहीं	अधिकार क्षेत्र में कोई डीसी नहीं
7	सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी और एयरपोर्ट) बेंगलुरु सीमा शुल्क आयुक्तालय मंगलुरु	बंगलुरु	सीसेज बेंगलुरु (डीसी-कोचीन)
8	सीमा शुल्क आयुक्तालय (एनएस-I), जेएनसीएच मुंबई सीमा शुल्क आयुक्तालय (एनएस-II), जेएनसीएच मुंबई सीमा शुल्क आयुक्तालय (एनएस-III), जेएनसीएच मुंबई सीमा शुल्क आयुक्तालय (एन एस-V), जेएनएचएच मुंबई	एडीजीएफटी, मुंबई	सीपूज, मुंबई

क्र.सं	चयनित सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	चयनित आरए का नाम	चयनित डीसी सेज के नाम
9	सीमा शुल्क आयुक्तालय -I (एयरपोर्ट), चेन्नई सीमा शुल्क आयुक्तालय -II (समुद्र-आयात), चेन्नई सीमा शुल्क आयुक्तालय -VII (एयर कार्गो), चेन्नई चेन्नई सीमा शुल्क आयुक्तालय कोचीन	चेन्नई,  कोचीन	एमईपीजेड, चेन्नई,  सीसेज, कोचीन
<b>कुल</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>8</b>

### अनुबंध 5

डीआरआई आसूचना एकत्रण और जांच तंत्र (डीआईजीआईटी) डेटाबेस का अध्ययन न होना

(संदर्भित पैराग्राफ 3.4.4.1)

क्र.सं.	आयुक्तालय का नाम	क्या लीगेसी डेटा प्रविष्टि जुलाई 2018 तक डीआईजीआईटी में की गई है	क्या एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश 1.4.2018 से अपलोड किए जा रहे हैं	डीआईजीआईटी का कार्यान्वयन लागू/आंशिक रूप से लागू/लागू नहीं
1	सीमा शुल्क आयुक्तालय , अहमदाबाद	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
2	सीमा शुल्क आयुक्तालय , मुंद्रा	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई
3	सीमा शुल्क आयुक्तालय , जोधपुर	अपलोड नहीं किया गया	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई
4	सीमा शुल्क आयुक्तालय , एनसीएच, मंगलौर	अपलोड नहीं किया गया	आंशिक	आंशिक रूप से लागू
5	सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी और एयरपोर्ट), बेंगलोर	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई
6	सीमा शुल्क आयुक्तालय , लुधियाना	आंशिक	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
7	सीमा शुल्क आयुक्तालय (समुद्र) चेन्नई	अपलोड नहीं किया गया	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई
8	सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयर), चेन्नई	अपलोड नहीं किया गया	आंशिक	आंशिक रूप से लागू
9	सीमा शुल्क आयुक्तालय (समुद्र), कोचीन	आंशिक	आंशिक	आंशिक रूप से लागू



क्र.सं.	आयुक्तालय का नाम	क्या लीगेसी डेटा प्रविष्टि जुलाई 2018 तक डीआईजीआईटी में की गई है	क्या एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश 1.4.2018 से अपलोड किए जा रहे हैं	डीआईजीआईटी का कार्यान्वयन लागू/आंशिक रूप से लागू/लागू नहीं
10	सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयर), कोचीन	जानकारी नहीं दी गई	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
11	सीमा शुल्क आयुक्तालय , एसीसी (आयात) एनसीएच, दिल्ली	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
12	सीमा शुल्क आयुक्तालय , इंदौर	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
13	सीमा शुल्क आयुक्तालय , एसीसी (निर्यात), एनसीएच, दिल्ली	अपलोड नहीं किया गया	आंशिक	आंशिक रूप से लागू
14	हैदराबाद सीमा शुल्क आयुक्तालय	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
15	सीमा शुल्क आयुक्तालय , वीवीएसपी	आंशिक	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
16	सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), भुवनेश्वर	अपलोड नहीं किया गया	आंशिक	आंशिक रूप से लागू
17	सीमा शुल्क आयुक्तालय , एयरपोर्ट, कोलकाता	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
18	सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), पश्चिम बंगाल	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया
19	सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), लखनऊ	अपलोड नहीं किया गया	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई
20	सीमा शुल्क आयुक्तालय , नोएडा	अपलोड नहीं किया गया	जानकारी नहीं दी गई	जानकारी नहीं दी गई
21	सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), पटना	अपलोड नहीं किया गया	आंशिक	आंशिक रूप से लागू
22	सीमा शुल्क आयुक्तालय (I,II,III,IV), जेएनसीएच, मुंबई	अपलोड नहीं किया गया	आंशिक	आंशिक रूप से लागू
<b>25</b>				
<b>सार:</b>				
आयुक्तालय की संख्या जहाँ लागू नहीं किया गया				<b>10</b>
आयुक्तालय की संख्या जहाँ आंशिक रूप से लागू किया				<b>9</b>
आयुक्तालय की संख्या जहाँ डेटा / जानकारी प्रस्तुत नहीं की				<b>6</b>
<b>कुल</b>				<b>25</b>

**अनुबंध 6**

**छूट अधिसूचना को गलत लागू करना**

(संदर्भित पैराग्राफ 4.7)

क्र.सं.	डीएपी संख्या	विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय
1	30	मूल सीमा शुल्क का कम उदग्रहण	12.33	12.33	12.33	एसीसी, मुंबई
2	50	छूट का गलत लाभ उठाने के कारण सीमा शुल्क के विशेष अतिरिक्त शुल्क का अनुदग्रहण	13.52	13.52	15.81	सीमा शुल्क आयुक्तालय , मुंद्रा,
3	59	छूट के गलत अनुदान के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	15.72	15.72	19.17	कस्टम हाउस, कोच्चि
4	67	यूरिया के आयात पर काउंटरवेलिंग शुल्क का कम उदग्रहण	27.03	27.03	5.26	जेएनसीएच, मुंबई
5	96	अधिसूचना के गलत आवेदन के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	18.32	18.32	23.60	एसीसी, बेंगलुरु
6	97	निर्यात दायित्व की गैर पूर्ति	53.06	53.06	13.26	एसीसी, बेंगलुरु
7	106	अधिसूचना संख्या 27 के तहत आयात किए गए माल पर शुल्क और ब्याज की गैर वसूली	21.35	21.35	32.47	कोलकाता (पोर्ट)
8	114	मूल्यांकन योग्य मूल्य को गलत तरीके से अपनाने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	13.97	13.97	16.58	आईसीडी, अंकलेश्वर, अहमदाबाद
कुल			<b>175.30</b>	<b>175.30</b>	<b>138.48</b>	

**अनुबंध 7**

**आयात पर आईजीएसटी का कम उदग्रहण/अनुदग्रहण**

(संदर्भित पैराग्राफ 4.8)

क्र.सं.	डीए पी सं.	विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय
1	3	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	31.47	31.47	39.24	एसीसी, चेन्नई
2	5	एकीकृत कर को गलत तरीके से अपनाने के कारण शुल्क की कम राशि	24.32	24.32	24.89	पटपड़गंज आयुक्तालय के अंतर्गत आईसीडी, गढ़ी हरसरू
3	8	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	15.45	15.45	17.29	सीएच, पिपाव जामनगर
4	14	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	36.16	36.16	60.78	आईसीडी, गढ़ी हरसरू
5	15	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	19.43	19.43	20.83	आईसीडी, तुगलकाबाद
6	16	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	33.41	33.41	36.98	आईसीडी, गढ़ी हरसरू
7	17	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	19.44	19.44	20.45	आईसीडी, तुगलकाबाद
8	28	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	15.76	15.76	8.45	एनसीएच, चेन्नई
9	37	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	56.27	56.27	67.27	आईसीडी, तुगलकाबाद
10	38	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	43.58	43.58	38.75	एनसीएच, दिल्ली

2020 की प्रतिवेदन संख्या 17- संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर—सीमा शुल्क)

क्र.सं.	डीए पी सं.	विषय	आपति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय
11	43	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	11.47	11.47	9.16	आईसीडी, तुगलकाबाद
12	54	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	13.98	13.98	17.29	एनसीएच, दिल्ली
13	62	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	20.98	20.98		आईसीडी, तुगलकाबाद
14	69	स्याही कारतूस पर आईजीएसटी का कम उदग्रहण	26.70	26.70	0.03	एसीसी, मुंबई
15	102	आईजीएसटी का कम उदग्रहण	24.84	24.84	30.65	एसीसी, मुंबई
16	105	आईजीएसटी दरों को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	64.32	64.32	66.35	एनसीएच, दिल्ली
		<b>कुल</b>	<b>457.58</b>	<b>430.91</b>	<b>458.41</b>	

**अनुबंध 8**

**गलत तरीके से अधिसूचना लाभ प्रदान करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण/अनुदग्रहण**

(संदर्भित पैराग्राफ 4.9)

क्र.सं.	डीएपी संख्या	विषय	आपतित राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय
1	18	अधिसूचना 50/2017 के गलत लाभ प्रदान करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	20.55	10.13	10.13	आईसीडी, गढ़ी हरसरू
2	86	अधिसूचना लाभ के गलत विस्तार के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	17.59	17.59	शून्य	कस्टम हाउस, चेन्नई
3	104	चने के आयात पर सीमा शुल्क का अनुदग्रहण	52.15	52.15	52.94	जेएनसीएच, मुंबई
4	112	अधिसूचना लाभ के गलत तरीके से विस्तारित होने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	31.31	31.31	34.52	चेन्नई (समुद्र)
पैरा 2.2 और 3.3 को छोड़कर 118-पैरा 2.2 से पैरा 3.4; अध्याय में शामिल		अधिसूचना 50/2017 के तहत मशीनरी और पार्टों के आयात पर बीसीडी का कम उदग्रहण	136.73	शून्य	शून्य	कोच्चि (समुद्र) चेन्नई (समुद्र)
		<b>कुल</b>	<b>258.33</b>	<b>111.18</b>	<b>97.59</b>	

अनुबंध -9

आयातों के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण/अनुदग्रहण

(संदर्भित पैराग्राफ 4.10)

क्र.सं.	डीए पी सं.	विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	6	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का अनुदग्रहण	33.87	33.87		चेन्नई (समुद्र)	रिजट्रॉन नियंत्रण वृद्धि कक्ष
2	9	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	26.18	26.18		एसीसी, बेंगलुरु	तंबाकू फीड नियंत्रण इकाई
3	13	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	18.87	18.87	23.23	आईसीडी, तुगलकाबाद	व्हाइट टॉप पल्प बोर्ड
4	20	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	43.55	43.55	2.26	चेन्नई (एअर)	सीसीटीवी कैमरा
5	21	गलत वर्गीकरण के कारण कम उदग्रहण	44.66	44.66	20.29	चेन्नई (समुद्र)	पशु चारे के लिए तन्त्र
6	22	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	12.80	12.80		चेन्नई (समुद्र)	रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग
7	26	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	32.11	32.11	38.54	कोच्चि (समुद्र)	मीडिया ग्रिड बेस पैक और अन्य
8	29	गलत वर्गीकरण के कारण आईजीएसटी का कम उदग्रहण	25.88	25.88	28.53	कोच्चि (समुद्र)	विलो असेंबली तथा फेस असेंबली
9	35	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	19.97	19.97	22.83	आईसीडी, तुगलकाबाद	मोबाइल फोन की बैटरी
10	40	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	65.56	65.56	77.26	आईसीडी, तुगलकाबाद	गियर असेंबली के लिए सिंक्रोनाइजर घटक
11	41	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	13.99			आईसीडी, तुगलकाबाद	डिब्बाबंद फल कॉकटेल

2020 की प्रतिवेदन संख्या 17- संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)

क्र.सं.	डीए पी सं.	विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
12	52	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	11.01	11.01	12.23	आईसीडी, तुगलकाबाद	ऑटोमोबाइल पार्ट
13	53	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	60.12	60.12		आईसीडी, तुगलकाबाद	राउटर लाइन कार्ड
14	55	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.80	10.80	14.85	जेएनसीएच, मुंबई	फिल्टर-पेपर
15	57	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.81			जेएनसीएच, मुंबई	कॉफी मेट कॉफी क्रीमर
16	65	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.07	10.07		एसीसी, बंगलुरु	जीएसएम / जीपीआरएस मॉड्यूल
17	71	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	46.37	46.37		चेन्नई (समुद्र)	इंबॉडी बैंड फिटनेस वॉच
18	72	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का अनुदग्रहण	90.97	90.97		आईसीडी, संतनगर	फाइबर प्रबलित प्लास्टिक फाइबर ग्लास
19	74	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	15.49	15.49		जेएनसीएच, मुंबई	कॉस्मेटिक के लिए कच्चा माल
20	79	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	39.36	2.33		जेएनसीएच, मुंबई	मॉनिटर और माइक्रोस्कोप
21	85	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	17.03	17.03		जेएनसीएच, मुंबई	पॉलीप्रोपाइलीन बैग
22	107	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का अनुदग्रहण	76.45	37.68	42.45	चेन्नई (समुद्र)	पेट्रोलियम अनुसंधान के लिए बहुउद्देश्यीय पायलट प्लॉट
23	109	गलत वर्गीकरण के कारण मूल सीमा शुल्क का कम उदग्रहण	18.22	16.43	16.43	एसीसी, हैदराबाद	डस्ट मोनिटर, एयर पार्टिकल काउंटर
			<b>744.14</b>	<b>641.75</b>	<b>298.90</b>		

अनुबंध -10

लागू शुल्क के उद्ग्रहण के बिना निकासी किए गए और अन्य अनियमितताएं

(संदर्भित पैराग्राफ 4.11)

क्र.सं.	डीए पी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु विषय
1	51	मूल सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण	13.63	13.63	16.03	सेज, अटलाड़ा	प्योरोक्सासल फोन
2	82	शुल्क का आधिक प्रतिदाय	46.48	46.48	58.07	जेएनसीएच, मुंबई	रेड बुल एनर्जी ड्रिंक
3	45	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	11.75			जेएनसीएच, नहवाशेवा-।	पथेलिक एनहाइड्राइड
4	49	एंटी डंपिंग शुल्क का कम/अनुद्ग्रहण	11.36	11.36		जेएनसीएच, नहवाशेवा-।	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन
5	63	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	25.49			नहवाशेवा-।	ज़ीइलाइट
6	89	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	33.35			जेएनसीएच, मुंबई	पॉलीप्रोपलीन
7	93	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	12.23			जेएनसीएच, मुंबई	तुल्यकालिक डिजिटल पदानुक्रम ट्रांसमिशन उपकरण
8	100	एंटी डंपिंग शुल्क का कम /अनुद्ग्रहण	14.05			जेएनसीएच, मुंबई	डि-मिथाइल एसिटामाइड
9	108	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	31.99	31.99		जेएनसीएच, मुंबई	सैकरीन
			<b>200.33</b>	<b>103.46</b>	<b>74.10</b>		



**अनुबंध -11**

**विकास आयुक्तों द्वारा प्रभारों का कम/अनुदग्रहण**

(संदर्भित पैराग्राफ 4.12)

क्र.सं.	डीएपीसंख्या	विषय सार	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹लाख में)	वसूली गई राशि (₹लाख में)	आयुक्तालय
1	7	लागत वसूली प्रभारों की कम वसूली	68.27	68.27	68.27	आईसीडी, अंकलेश्वर
2	75	लागत वसूली प्रभारों की कम वसूली	44.93	29.12	29.12	जीपीपीएल पिपावाव
		कुल	113.20	97.39	97.39	

**अनुबंध -12**

**निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन**

(संदर्भित पैराग्राफ 5.2)

क्र.सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹लाख में)	वसूली गई राशि (₹लाख में)	आयुक्तालय
1	34	अग्रिम प्राधिकरण के संबंध में डिफॉल्ट का अनियमित नियमितीकरण	21.43	25.90	25.90	एडीजीएफटी, कोलकाता
2	42	डीटीए बिक्री पर सीमा शुल्क शिक्षा उपकर का अनुदग्रहण	10.48	10.48	11.50	डीसी-एफसीसेज, कोलकाता
3	44	एसएफआईएस प्राधिकरण का गलत अनुदान	49.34	49.34	49.34	जेडीजीएफटी, वडोदरा
4	46	ईपीसीजी प्राधिकरण के संबंध में निर्यात दायित्व की गैर पूर्ति	14.67			एडीजीएफटी,, कोलकाता
5	47	मार्केट लिंकड फोकस उत्पाद योजना के तहत शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान	28.95	28.95	48.64	जेडीजीएफटी, चेन्नई

2020 की प्रतिवेदन संख्या 17- संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर—सीमा शुल्क)

क्र.सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹लाख में)	वसूली गई राशि (₹लाख में)	आयुक्तालय
6	48	एसएचआईएस योजना के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का गलत अनुदान	8.00	8.00	11.02	एडीजीएफटी,, कोलकाता
7	61	आईआईएस के तहत पारितोषिक का गलत अनुदान	9.13	9.13	11.05	जेडीजीएफटी, कोयंबटूर
8	68	गलत वर्गीकरण के कारण डीटीए बिक्री पर शुल्क का कम उदग्रहण	70.33	70.33		कस्टम हाउस, कोच्चि
9	73	एमईआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट का अत्यधिक अनुदान	35.18	35.18	39.50	जेडीजीएफटी, मद्रुरै
10	76	अयोग्य समझा गया दोष	39.04	49.08	49.08	डीसी-सीसेज, कोच्चि
11	78	उत्पाद शुल्क का कम उदग्रहण	10.26	10.26	16.02	पुणे III (ईऑयू) मुंबई
12	81	ईपीसीजी लाइसेंस के प्रति निर्यात दायित्व की गैर पूर्ति	30.90	11.27		एसीसी, बेंगलुरु
13	91	सीएसटी प्रतिदाय का गलत लाभ	30.85	24.40	24.40	सीजीएसटी, भावनगर-I
14	98	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण के तहत छूट का गलत अनुदान	22.13	22.13	28.98	कस्टम हाउस, मुंद्रा
15	101	डीटीए में उत्पाद की अधिक बिक्री पर शुल्क का कम उदग्रहण	10.39	10.39	3.17	औरंगाबाद-II
16	113	एमईआईएस के तहत सीमा शुल्क की छूट का अनियमित लाभ	51.63	51.63		सीजीएसटी (III) गांधीनगर
17	116	निर्यात आय को उगाहने में विफलता पर कमी की वसूली नहीं	46.61	46.61		कोलकाता (पोर्ट)
			<b>489.32</b>	<b>463.08</b>	<b>318.55</b>	